सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-15/2022/सैंतालीस-का-1-2022/13(2)1997

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2022**

विषय:- पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि सिविल अपील संख्या-6868/2021 IN SPLAD No. 187/2020 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम विकास कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 के मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

"----The learned Single Judge thereafter while quashing and setting aside the eligibility lists dated 18.03.2019 and 10.05.2019 has issued the writ of mandamus commanding or directing the competent authority to grant relaxation in qualifying service, which as such was permissible under Rule 4 of the Relaxation Rules, 2006.

The word used in the Rule 4 of Relaxation Rules, 2006 is "MAY". Therefore, the relaxation may be at the discretion of the competent authority. The relaxation cannot be prayed as a matter of right. If a conscious decision is taken not to grant the relaxation, merely because Rule permits relaxation, no writ of mandamus can be issued directing the competent authority to grant relaxation in qualifying service.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

Therefore, the High Court has committed a grave error in issuing the writ of mandamus commanding the competent authority to grant relaxation in the qualifying service. Consequently, the High Court has also erred in quashing and setting aside the eligibility lists dated 18.03.2019 and 10.05.2019, which as such were prepared absolutely in consonance with the Rules, 1990 and Rules, 2006.

The impugned judgments and orders passed by the learned Single Judge as well as the Division Bench of the High Court are not sustainable in law.

2- कृपया मा० उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय/आदेश को संज्ञान में लेते हुए **उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 (यथासंशोधित)** की व्यवस्थाओं के क्रम में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के प्रकरणों का निस्तारण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।